

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1905/2013/जोधपुर

मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर वृत्त-सी, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री सुमेर पटवा
अभिभाषक
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक
निर्णय दिनांक 25.01.2017

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 5/आरवैट/जेयूसी/13-14 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2013 के विरुद्ध पेश की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-सी, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा रिफण्ड नहीं दिये जाने को, उचित ठहराया है।


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पत्र दिनांक 07.01.2013 से अधिक वैट रु. 3,31,346/- होने से उसका रिफण्ड चाहा गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त पत्र पर विचार करने के पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा को क्रमांक 1557 दिनांक 11.1.2013 टिन नम्बर 08122655037 लिखते हुए कर निर्धारण वर्ष 2007-08, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में कोई अधिक आई टी सी नहीं होने का उल्लेख किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने बाद जांच पाया है कि अपीलार्थी व्यवहारी स्टॉक प्रपत्र व वैट-7ए प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः कर निर्धारण ओशों व पत्रादि के अभाव में कोई रिफण्ड देय नहीं होने के सम्बन्ध में सूचित किया है। कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2013 में आदेश में अंकित किया है कि कर निर्धारण आदेशों पूर्ववर्ती अन्तिम कर निर्धारण दि नरांक 20.09.2010/30.06.2011 पश्चात कोई आगत कर अग्रेसित नहीं है व पूर्ववर्ती वर्ष के संशोधन नहीं किये गये हैं अतः आई टी सी अधिक होने व वर्ष 2006-07 जिसमें संशोधन देय है, अवधि पार होने से कोई रिफण्ड न्यायोचित देय नहीं है। उन्होंने उक्त प्रकार से प्रस्तुत उत्तर आवेदन का निस्तारण करते हुए आवेदन दफ्तर दाखिल कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष

अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा दिनांक 07.01.2013 को निर्धारण अधिकारी को एक पत्र दिया था जिसमें रुपये 231346/- का रिफण्ड दिये जाने की मांग की गई थी, जिसमें दिनांक 30.09.2010 के रिटर्न का हवाला देते हुये यह निवेदन किया गयाथा कि आई.टी.सी.के पेटे अधिक राशि जमा हो गई है। उनका कथन है कि अधिक आई आई सी का रिफण्ड प्राप्त करने के लिये आवेदन किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त द्वारा दिनांक 11.01.2013 को पत्र के जरिये यह बताया गया था कि अपीलार्थी के वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में किये गये कर निर्धारण आदेश में कोई भी आई.टी.सी. अग्रेषित नहीं थी तथा दिनांक 01.04.2006 को आरंभिक आई.टी.सी. विवरण पत्रों में रुपये 57836/- दर्शायी गयी ऐसी स्थिती में कोई भी खरीद नहीं बताये जाने की स्थिती में एवं वैट 07 नहीं दिये जाने की स्थिती में रिफण्ड दिया नहीं गया था दिनांक 15.02.2013 को अपीलार्थी द्वारा यह जवाब दिया गया था कि दिनांक 31.03.2007 को रुपये 231346/- की अधिक आई.टी.सी दिनांक 31.03.2006 का उनके स्टॉक में थी जिसकी विभाग के समक्ष सूचना दिनांक 31.05.2006 को दी गई थी अतः उस आई.टी.सी को अब अग्रेषित करते हुये रिफण्ड दिये जाने का आवेदन दिया गया था। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 2006-07 में आरंभिक आई.टी.सी के रुप में अपीलार्थी द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वह अनुचित है क्योंकि आरंभिक आई.टी.सी का क्लेम अधिनियम के लागू होने पर वर्ष 2006-07 में दिनांक 31.05.2006 तक कार्यालय में closing stock की सूचना दिया जाना अनिवार्य था अपीलार्थी द्वारा क्लेम प्रस्तुत नहीं होने की स्थिती में उन्हें Claim नहीं दिया गया तथा वर्ष 2006-07 से लगातार कर निर्धारण आदेश पारित किये गये है जिसमें आई.टी.सी शून्य दर्शायी जा रही है, इस तरह वर्ष 2010-11 के द्वितीय तिमाही में क्लेम करने का कोई आधार नहीं बनता है। उनका कथन है कि केवल इस तरह के पत्र से दिये गये जवाब पर अपील सुनने का कारण नही बनता है। उन्होंने उक्त कथन के कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के प्रारम्भिक स्टॉक से



सम्बन्धित आई टी सी का लाभ प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 07.01.2013 द्वारा अधिक आई टी सी रिफण्ड क्लेम किया गया है। रेकार्ड से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित आदेश को विवादित नहीं किया गया है बल्कि को अधिक आई टी सी का क्लेम प. दिनांक 07.01.2013 के द्वारा किया गया है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2013 पारित कर अधिक आई टी सी के क्लेम को अस्वीकार कर अपील आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-


“मेरे समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उस पत्र को विवादित किया गया है जिसमें उनके द्वारा विस्तृत रूप से तथ्य प्रकट करते हुये यह सूचना दी गई है कि उनके पक्ष में किसी भी तरह की आई.टी.सी उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में रिफण्ड जारी करने का कोई आधार नहीं है।

पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 के प्रारंभिक स्टॉक संबंधित आई.टी.सी का लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.01.2013 को पत्र दिनांक 07.01.2013 को पत्र दिया गया था जिसके जवाब को किसी “आदेश” की श्रेणी में नहीं माना जा सकता जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सके अतः अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

यहां यह उल्लेख किया जाता है कि विवादित आई.टी.सी वर्ष 2006-07 से संबंधित है एवं उस वर्ष के कर निर्धारण में I.T.C का कोई लाभ स्वीकार नहीं किया गया था एवं न ही उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गई है”।

यदि व्यवहारी द्वारा अधिक आई टी सी क्लेम किया जाना था तो उसे वर्ष 2006-07 के आदेश को विवादित कर आई टी सी क्लेम करना चाहिए था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2013 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(सुनील शर्मा)
सदस्य